न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 04 / 2023
महावीर पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी 2 एम एम के तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
अपीलांट

वनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2023 न्यायालय तहसील राजस्व संगरिया, प्रकरण सं. 36/2023 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम व मूराद मनसुखी।

उपस्थितः— 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः—25.03.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21—3—2023 कतई निराधार व अपीलान्ट को जवाब का अवसर प्रदान किये विना जल्दवाजी में एक पक्षीय रूप से दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट तारीख पेशी 20—3—2023 के लिए क्रमांक 815 दिनांक 10—3—2023 का जारी किया हुआ दिया गया है जो अपीलान्ट को 17—3—2023 को ही प्राप्त हुआ है. है. जिसमें चक नम्बर 2 ए एम के पत्थर नम्बर 169 / 202 गुरख्या नम्बर 46 व पत्थर नम्बर 169 / 203 मुरब्बा नम्बर 42 का कुल 3.618 हैक्टेयर रक्बा दर्ज किया गया है। परन्तु इसके बाद न्यायालय द्वारा पुन सशौंधित नोटिस क्रमांक 827 दिनाक 17—3—2023 का जारी करते हुए चक नम्बर 22 एएमके के स्थान पर 2 एम एम के पत्थर नम्बर 169 / 202 के स्थान पर 169 / 203 मुरब्बा नम्बर 46 व पत्थर नम्बर 169 / 203 के स्थान पर 169 / 202 सशौधित करते हुए दिया गया। जिसमें तारीख पेशी 20—3—2023 को अपीलान्ट को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया। दिनांक 20—3—2023 को अपीलान्ट ने जरिये वकील अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब के लिए एक सप्ताह का समय मांगा जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने पहले तो अपीलान्ट के आवेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिये और समय देने के लिए सहमती प्रदान कर दी परन्तु तुरन्त बाद ही अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण वतलाये, निर्णय दिनांक 21—3—2023 को एक पक्षीय बिना सुनवाई का उचित अवसर प्रवान किये कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना और जानकारी लिये बिना लगभग दिनांक 9—3—2023 को अपनी रिपोर्ट की गई जिसके उपरान्त ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस अपीलान्ट को दिनांक 10—3—2023 को जारी करते हुए दिया गया। जवकि उक्त प्रकरण में रजिस्टर नम्बर 36 / 2022 लगाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट द्वारा विधिवत् अपना पक्ष रखने के लिए मात्र एक सप्ताह का समय मांगा था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय देने का आश्वासन देने के वाद जल्द वाजी में दिनाक 21—3—2023 को पत्रावली का निर्णय कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित सुअवसर प्रदान किये विना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो मात्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का पड़दादा उदाराम पुत्र श्री मगलाराम जाति जाट निवासी 2 एम एम के था। जिसके नाम से रोही मौजा नगराना में खाता सख्या 8 / 48 में खसरा नम्बर 74 व खसरा नम्बर 74 / 2 में कुल 78 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि थी। जिसमें से खसरा नम्बर 74 का 9 बीघा 11 बिस्वा भाखरा नहर निर्माण के समय ईट भट्टा के लिए ली गई थी। नहर के निर्माण

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

में कोई काश्तकार अपनी भूमि को लेकर कोई तनाजा ना करे इसलिए कृषकों से ईट भट्ठा हेतु ली गई कृषि भूमि को रिकार्ड में भट्ठा गैरमुमकिन दर्ज कर दी गई। जब अधिकारी/कर्मचारी स्तर पर उक्त भूमि नहर निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त भी जब वापिस काश्तकारों के नाम से अकित नहीं की गई। तब दिनाक 4–1–1994 को प्रार्थी के भाईयों जगदीश व अमरचन्द द्वारा एक प्रार्थना पत्र तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ को प्रेषित की गई। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने मूल प्रार्थना पत्र ही आवंटन शाखा को प्रेषित करते हुए तहसील सगरिया व पटवारी हल्का से इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। तहसील सगरिया द्वारा पटवारी हल्का से इसकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर स्वयं रिपोर्ट की जिसमें स्पष्ट रूप से अकिंत किया गया कि चक नम्बर 2 एम एम के मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 12 ता 14,17 ता 19, 22 ता 24 मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 2 ता 4,7,8,9 कुल 14 बीघा 6 बिस्वा रिकार्ड में गैरमुमकिन भट्ठा दर्ज है। उक्त भट्ठठा भाखरा विभाग द्वारा पूर्व में नहर निर्माण के लिए चलाया गया था तथा अब मौका पर रक्बा खाली है एवं काश्त योग्य है। इसके अलावा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अकित किया कि खतौनी संख्या 1994 में खसरा नम्बर 74 रक्बा 78 बीघा 10 बिस्वा उदाराम पुत्र मगलाराम जाति जाट के नाम खातेदारी था एवं मुताबिक नामान्तरण सख्या 258 दिनाक 1–5–56 के खसरा नम्बर 74 में से 9 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 74/2 में से 7 बीघा 8 बिस्वा गैरमुमकिन भट्ठा दर्ज हुआ। मुताबिक पर्चा खतौनी भट्टे में आई भूमि का तबादला दिया जाना नहीं पाया जाता। भविष्य में इस भूमि का भट्टे के लिए उपयोग नहीं होगा। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा ना होकर बल्कि उसके पड़दादा की खातेदारी भूमि है। जिसने मात्र भाखरा नहर के निर्माण करने हेतु ईट भट्ठा हेतु दी थी। प्रयोजन पूर्ण होने पर स्वत ही बतौर खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। इसलिए तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का व तहसीलदार की पूर्ण रिपोर्ट आ चुकी थी। जब उपरोक्त सम्पूर्ण व विधिक रिपोर्ट पटवारी हल्वा व तहसीलवार राजस्व सगरिया रिकार्ड पर आने के उपरान्त और अपीलान्ट व उसके भाईयों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का पूर्ण सत्यापन होने के उपरान्त भी उपरोक्त रक्बा की पूर्व स्थिति बहाल नहीं किया गया और राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पड़दादा के नाम से अंकित नहीं किया गया तब अपीलान्ट ने मजबूरन दिनाक 20–4–2021 को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 व्यचहार प्रक्रिया संहिता राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को दिया गया जो उन्हे प्राप्त हो गया। परन्तु नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही नोटिस का कोई प्रत्युतर ही दिया गया। इस नोटिस से पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को 7 बीधा 8 बिस्वा भूमि की वावत नाजायज काश्त का धारा 22 का नहीं नोटिस विया जाकर एक पक्षीय निर्णय दिनांक 11–2–2021 को जरिये प्रकरण संख्या 1/2021 किया गया था। तब प्रार्थी ने उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को अंकित करते हुए और समस्त वास्तविक व विधिक तथ्य अंकित करते हुए माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ की न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने प्रथम दृष्टिया ही श्री मान जी का निर्णय विधि विरुद्ध मानते हुए अपीलान्ट की अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया और स्थगन आदेश पारित किया गया। यह अपील अभी तक लम्बित है और स्थगन प्रभावी है। जब अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार को दिये गये नोटिस धारा 80 सी पी सी के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई और नोटिस का कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया तब मजवूरन प्रार्थी ने अपने अधिकारों की बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस वी सिविल रिट पेटीशन सख्या 125/2022 अनवानी महावीर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य जिसमें तहसीलदार राजस्व सगरिया भी बतौर पक्षकार सख्या 3 है, के विरूद्ध प्रस्तुत की हुई है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा विपक्षीगण को नोटिस जारी किये हुए है। नोटिस श्री मान जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़, उपखण्ड अधिकारी सगरिया एवं तहसीलदार राजस्व सगरिया को प्राप्त हो चुके है। परन्तु काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी

अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

तक् माननीय उच्च न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की खड़ी फसल जो प्रार्थी ने काटकर खेत में ही छोड़ी हुई है, को निलाम करने का आदेश दिया है। जिसके अमल में आ जाने से अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलान्ट अजहद गरीब व्यक्ति है। मात्र इसी भूमि की फसल की आमदनी से अपीलान्ट अपने परिवार का गुजर बसर करता है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया की उपरोक्त परिस्थितियों में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2023 निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2024 प्र.सं. 2/2024 तहसीलदार टिब्बी के निर्णय को खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा प्रकरण सं0 36/2023 अनवानी स्टेट बनाम महावीर किस्म मुकदमा उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 निर्णय दिनांक 21.03.2023 विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ को प्रेषित पत्र क्रमांक भू. अ./94/582 दिनांक 03.05.1994 के अनुसार चक नं. 2 एमएम के में मु.न. 42 किला न0 12ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 मु.न. 46 किला न. 2 ता 4, 7/.075,8,9 कुल 3. 618 है0 भूमि गैरमुमकिन भट्टा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भट्टा भाखडा विभाग द्वारा पूर्व में नहर निर्माण के लिए चलाया गया था। तथा अब मौके पर रक्बा खाली है एवं काश्त योग्य है। पूर्व में मुताबिक खतौनी संख्या 1997 में खसरा नम्बर 74 रक्बा 78 बीघा 10 बिस्वा उदाराम पुत्र मगंलाराम जाति जाट के नाम खातेदारी था एवं मुताबिक नामान्तरण संख्या 258 दिनांक 01.05.1956 के खसरा नम्बर 74 में से 9 बीघा 11 विस्वा खसरा नम्बर 74/2 में से 7 बीघा 8 बिस्वा गैरमुमकिन भट्ठा दर्ज हुआ। मुताविक पर्चा खतौनी भट्टे में आई हुई भूमि का तबादला दिया जाना नही पाया जाता। भविष्य में भी इस भूमि का भट्टे के लिए उपयोग नहीं होगा।
2. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रकरण संख्या 36/2023 अनवानी स्टेट बनाम महावीर निर्णय दिनांक 21.03.2023 जारी करने से पूर्व तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नहीं होने के कारण प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा प्रकरण सं0 36/2023 अनवानी स्टेट बनाम महावीर में उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत जारी आदेश 21.03.2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, जिला हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है की पक्षकार को सुनकर राजस्व रिकार्ड की भलीभांति जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़